इटावा पुलिस

प्रेस नोट दिनांक- 19.09.2023

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 01मोटर वाहन चोर को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 05 वर्ष का कारावास व 1500/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में थाना सिविल लाइन व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते 01मोटर वाहन चोर को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 05 वर्ष का कारावास व 1500 /- रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 17.03.2023 को वादी हे0का0 देवप्रकाश रावत द्वारा 02 मोटर वाहन चोरों के कब्जे से चोरी की गयी 01 मोटर साइकिल बिना नम्बर व 01 मोटर साइकिल नम्बर UP83P00239 के बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर तहरीरी सूचना दी गयी सूचना पर तत्काल थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0 150/2016 पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 श्री विजय सिंह द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर **अभियुक्त अखिलेश उर्फ प्रेम जुल्ला कुशवाहा** के विरूद्ध आरोप पत्र **धारा 413/414** भादवि में मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना सिविल लाइन पुलिस टीम,पैरोकार का0 अमित कुमार एवं मानीटरिंग सैल व विशेष शासकीय अधिवक्ता श्री अजीत सिंह तोमर द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को आज दिनांक 19.09.2023 को माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश इटावा श्री रूपेन्द्र सिंह तोमर द्वारा 05 वर्ष का कारावास व 1500 रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी ।

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **अखिलेश उर्फ प्रेम जुल्ला कुशवाहा पुत्र महेश चन्द्र निवासी नगला जगे थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।**